न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 01/2026 (GCMS: 2026/17)

लाभ सिंह पुत्र विचित्र सिंह स्थाई निवासी पता गांव 23 जैड, श्रीगंगानगर अस्थाई निवासी पता C-4/90 केशव पुरम दिल्ली – 110035 मोबाईल नम्बर 95710–11075

बनाम

1. **सुखविन्द्र सिंह** पुत्र लाभ सिंह पता Plot No. 1st & 2nd Floors, Unit No. 103, 104, 201, 203, 204, Community Centre, Karkardoom, delhi-110092 6th Community Centre, Nipun Tower, Karkardoom, Delhi **Also at** F-2, Ashdeep Apartment, Plot No. 96, Sector -5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, UP-201005
2. **जसंविंद्र सिंह** पुत्र लाभ सिंह उर्फ जसविंद्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह मोबाईल नम्बर : 99297–91387
3. **सुखवीर कौर** पत्नी श्री सतपाल सिंह
4. **श्री मनदीप कौर** पत्नी मक्खन सिंह
5. **रणदीप सिंह** पुत्र सतपाल सिंह मोबाईल नम्बर 9782802000
6. **कंवरजीत सिंह उर्फ नोनी** मोबाईल नम्बर 99289–81245

समस्त निवासीगण चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>**22.04.2026**</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी लाभ सिंह की ओर से उनकी मुख्त्यारेआम गुरविन्द्र कौर एवं अप्रार्थीगण सुखविन्द्र सिंह एवं जसविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि

प्रार्थी जो 82 वर्षीय व्यक्ति है, जो अपनी अविवाहित पुत्री गुरविंद्र कौर के साथ रह रहा है तथा गुरविन्द्र कौर अपने पिता के सभी केसों में पॉवर ऑफ अटॉर्नी है तथा अपने पिता की जमीन पर खेती कर अपना और अपने पिता का भरण पोषण करना चाहती है, परन्तु प्रतिवादीगण, प्र[illegible]की स्वतः अर्जित जमीन पर घुसने से रोक रहे है। इसलिए अपीलार्थी ने [illegible]दीगण को अपने मकान से निकालने तथा जमीन पर [illegible] पर घुसने से रोकने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी लाभ सिंह की ओर से उनके मुख्त्यारेआम गुरविन्द्र कौर ने अपनी बहस में कथन किया है कि उनके द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2025 को खारिज कर दिया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 22.01.2024 को प्रतिवादी सुखविंद्र सिंह व उसकी पत्नी पल्लवी कौर तथा जसविंद्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह उर्फ जसविंद्र सिंह पुत्र लाभ सिंह एवं उसकी पत्नी रजवंत कौर ने वादी की अविवाहित पुत्री को उसके खुद के घर से निकाल दिया तथा जालसाजी से फर्जी पेपर बनाकर वादी के मकान को अपने नाम से कर लिया, जिसकी एफआईआर संख्या 80/2024 तथा प्रकरण ग्राम न्यायालय में विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वादी व वादी की पत्नी ने प्रतिवादी जसविन्द्र सिंह को उसके मामा गुरदीप सिंह निवासी 37 आरबी गजसिंहपुर को गोद दे दिया था तथा वही उसने अपने वोटों का उपयोग जसविंद्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह के नाम सन् 1993 एवं 1998 में किया था और वहां से उसको व उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और सन 2000 में वादी व वादी की पत्नी ने उसे रहने के लिए व जमीन के रखरखाव के लिए श्रीगंगानगर में अपने घर रखा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि जसविंद्र सिंह एवं सुखविन्द्र सिंह शुरू से ही जालसाजी करने में निपुण थे तथा वादी ने पूर्व सरपंच बलविंद्र सिंह और पूर्व प्रधान पुरूषोतम के साथ मिली भगत करके अपने पहचान पत्रों व घर के फर्जी पेपर बनाकर सन् 2013 में घर का पट्टा अपने नाम कर लिया और दिनांक 20.03.2024 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि सुखविंद्र [illegible] सिंह व अन्य राजनीतिक दबंग व्यक्ति ने उसकी खड़ी फसल काटकर [illegible] चुके है, जिसकी शिकायत वादी ने न्यायालय में पेश कर रखी है, जिसक[illegible] रिपोर्ट न्यायालय में पुलिस थाना, मटीली राठान से मांगी थी, पर फसल किसने काटी, किसको बेची, कहां रखी, रिपोर्ट में नही बताया बल्कि एक ही शिकायत की दो तरह की रिपोर्ट बनाकर पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि वादी की अर्जित जमीन पर कब्जा करवाना चाहते है। वादी अपने दोनों एवं परिवारगणों को बेदखल कर चुका है। इसलिए अप्रार्थीगण को वादी की जमीन पर हस्तक्षेप करने एवं जबरन घुसने से रोक जाए तथा इन्हें वरिष्ठ कानून अधिनियम के तहत बेदखल कर, मेरी काटी हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाये।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रतिवादीगण गुंडा किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थी को उसकी स्वः अर्जित जमीन पर घुसने से रोक रहे है। वादी और वादी की बेटी पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत कर फर्जी केसों में उलझा रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा उनकी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा अपनी स्वः अर्जित जमीन पर बोर्ड़ लगाया था, जिसे भी प्रतिवादीगण ने तोड़ दिया है। वे अपनी जमीन की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान और तारबंदी करवाना चाहते है, परन्तु वर्तमान में फसल खडी होने के कारण पटवारी एवं तहसीलदार ने सीमाज्ञान एवं तारबंदी करने से मना कर दिया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के द्वारा 15000/- रूपये भरण पोषण खर्चा राशि उन्हें प्राप्त हो रही है। इसलिए वे अपने इस प्रकरण में भरण पोषण राशि की मांग न कर अप्रार्थीगण को वादी की जमीन पर दखलअंदाजी न करने व जमीन में घुसने से रोकने, प्रतिवादीगण को उनकी जमीन से बेदखल किया जाये और वादी को सीनियर सुरक्षा एक्ट में सुरक्षा प्रदान कर, वादी की खड़ी फसल काटने का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के प्रकरण संख्या 14073/2023, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का सिविल रिविजन नं. 2660/2014 अनवान शादी राम बनाम सुशिल कुमार एवं अन्य निर्णय दिनांक 10.07.2015 एवं फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेज पेश किये है, जो शामिल पत्रावली [illegible]

इसके विपरीत अप्रार्थीगण [illegible] है कि अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्रों को अपनी जमीन से बेदखल कर रखा है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी को 15000/- रूपये भरण पोषण राशि प्रति माह दी जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी जमीन अथवा भरण पोषण राशि दोनों में एक चीज् प्राप्त करने का हकदार है, न की दोनो। प्रतिवादीगण, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशों की पालना में अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दे रहे है तो उसे जमीन का कोई हक नहीं बनता है। उनके द्वारा किसी प्रकार का फर्जी आदेश न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित जमीन पर लगभग 20 साल से कब्जा काश्त कर रहे है तथा उक्त जमीन पर 2023 से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ हैं इसलिए उक्त विवादित जमीन पर तारबंदी / सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। स्थगन आदेश से सम्बन्धित तथ्यों को अपीलार्थी द्वारा छुपाया गया है। अप्रार्थी के अपनी बहस के समर्थन में भरण पोषण राशि जमा करवाने एवं जमाबंदी की प्रति पेश की है, जिसमें माननीय मण्डल के आदेश से मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का नोट लगा हुआ है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन कया तो पाया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशों की पालना में भरण पोषण राशि प्रातिवादीगण द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है परन्तु इसलिए प्रार्थी ने अपनी जमीन से प्रतिवादीगण को निकाला जाने तथा प्रतिवादीगण को जमीन पर दखलअंदाजी न करने, उन्हें जमीन पर घुसने से रोकने तथा उपरोक्त दोनों को बेदखल करने की प्रार्थना करने एवं सीनियर सुरक्षा एक्ट में सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना करने पर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.12.2025 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया थाः

> **माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के अनुसार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी सम्पत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण प्रार्थीगण के पक्ष में किसी श[illegible] नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनु[illegible] बाबत प्रार्थीगण को प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने [illegible] प्रार्थी की जमीन से निष्कासित करने, प्रार्थी व प्रार्थी [illegible] अविवाहित पुत्री को पुलिस प्रोटेक्शन देकर खेत में खेती [illegible] एवं जमीन की तारबन्दी कर जमीन को अपने संरक्षण में [illegible] से संबंध में इस न्यायालय की श्रवणधिकार का नहीं है। अतः इस हद तक प्राथी को कोई अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थी इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराचोही हेतु स्वतंत्र है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 03.12.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है और किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय हैः

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है**। अप्रार्थी संख्या 03 से 06 का अपीलार्थी के साथ क्या सम्बन्ध है, प्रकरण में स्पष्ट नहीं है।

जहां तक विवादित जमीन का कब्जा दिलवाने, अप्रार्थीगण को बेदखल करने, जमीन में घुसने से रोकने एवं सीनियर सुरक्षा एक्ट में सुरक्षा का प्रश्न है, जिसे प्रार्थी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण को जमीन पर दखलअंदाजी, जमीन पर घुसने से रोकने, बेदखल करने एवं सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय हैः

> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण के तहत भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है। अपीलार्थी माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उक्त सम्पत्ति के विवाद के लिए किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सकते है। अपीलार्थी **उक्त सम्पत्ति के विवाद हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्रों से भरण पोषण का हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

> **4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–**
>
> **(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–**
>
> **(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।**
>
> **(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।**
>
> **(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।**
>
> **(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।**
>
> **(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः**
>
> **परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार मा[illegible]नी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है यदि वे अपने अर्जन या स्वामित्वाधीन सम्पति से **स्वयं का** भरण पोषण करने में असमर्थ **हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2026 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2007 प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अपने मकान और जमीन से अप्रार्थीगण को जमीन पर दखलअंदाजी न करने, जमीन पर घुसने से रोकने, बेदखल करने एवं सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की है एवं भरण पोषण राशि दिलाने की मांग नहीं की है। **अपीलार्थी स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश से भरण पोषण की राशि प्राप्त हो रही है।** इसलिए **अपीलार्थी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।** फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 03.12.2025 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:36 IST
Reason: SelfAttested